


## कायालय राजा नगर परिषद, गुमला

### आम सूचना

सरकार के साथ, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं. 3263 दिनांक 18.05.2017 तथा निर्देशक, राज्य सहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग के आम सूचना सं. 4473 दिनांक 13.07.2017 के आलोक में नगर परिषद, गुमला क्षेत्रान्तर्गत सभी भूखामी/नागरिकों/बिहारी आदि को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड भवन उपविधि 2016 के अधिसूचित होने की तिथि 05.04.2016 के पूर्व बिना स्वीकृति के निर्मित भवन जिनसे निर्माण के पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी से नक्शे की स्वीकृति प्राप्त नहीं की है, वैसे निर्मित भवनों का नियमितकरण विभागीय निर्देशानुसार किया जाना है। तदनुसार इस परिप्रेक्ष्य में अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों के स्वामियों से विहित प्रपत्र में बांछित आकड़े उपलब्ध किया जाना है।

अतः उक्त के आलोक में नगर परिषद, गुमला क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों के स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि विहित प्रपत्र में बांछित आकड़े भरकर दिनांक 15.08.2017 तक हर हाल में नगर निकाय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 15.08.2017 तक की अंतिम तिथि तक यथा विहित प्रपत्र में नगर परिषद कायालय को आकड़े जमा नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों के स्वामी प्रस्तावित नियमितकरण व्यवस्था के लाभ से वंचित रहेंगे एवं भविष्य में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अधिक जानकारी हेतु कायालय के सूचना पट्ट पर या विभागीय website-udhd.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है।

कायालयक राजा नगर परिषद, गुमला।



प्रपत्र

1	आवेदक/आवेदिका का नाम	
2	पता	
3	जमीन स्वामित्व का प्रकार (रैयती, खरीदारी अथवा लीज)	
4	दाखिल/खारिज/नामान्तरण हुआ है अथवा नहीं	
5	मालगुजारी रसीद कटता है अथवा नहीं	
6	भू-खंड की लंबाई एवं चौड़ाई	
7	भवन के सामने सड़क की चौड़ाई	
8	भवन की ऊँचाई (G+1, G+2, G+3...)	
9	उपलब्ध सेटबैक आगे - पीछे - बायें - दायें -	
10	होलिडिंग टैक्स लगता है अथवा नहीं	
11	भवन का उपयोग आवासीय अथवा व्यवसायिक अथवा दोनों	



आवेदक का हस्ताक्षर